हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 28.04.2023 को मैसर्स OP स्टोन क्रेशर, निवासी गांव आरियाँ वाला , पोस्ट ऑफिस मलकपुर बांगर, तहसील बिलासपुर, जिला यमुना नगर, हरियाणा की मौजा मोहाल बांगरण, तहसील पौंटा साहिब , जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी (क्षमता 63,362 टन प्रति वर्ष) हेतु खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब द्वारा दिनांक 28.04.2023 को मैसर्स OP स्टोन क्रेशर, निवासी गांव आरियाँ वाला , पोस्ट ऑफिस मलकपुर बांगर, तहसील बिलासपुर, जिला यमुना नगर, हरियाणा की खनन प्रस्ताव पर जन सुनवाई खुला मैदान समीप मंदिर परिसर, मुख्य रोड बांगरान, तहसील पौंटा साहिब जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में संपन्न की गई। प्रस्तावित खनन पट्टा मौजा मोहाल बांगरान, खसरा नंबर 376/250/228 और कुल खनन क्षेत्र 3.91.12 हेक्टेयर (46.08 बीघा) तहसील पौंटा साहिब, जिला सिरमौर , (हि. प्र.) भूमि पर रेत, पत्थर व बजरी खनन (क्षमता 63,362 टन प्रति वर्ष) हेतु, ई. आई. ए. अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के अतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जन सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर कि अध्यक्षता में किया गया। इस जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूचि संलग्न-1 में उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई कि पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात परियोजना प्रस्तावको एवं उनके प्रतिनिधि तकनीकी परामर्शदाता के द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। अन्त मे कंपनी के प्रतिनिधि ने परियोजना को कार्यान्वित करने में स्थानीय जनता का सहयोग माँगा तथा उपस्थित जनसमूह के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जनसुनवाई आरम्भ की गई।

क्रम संख्या	नाम व पता	उठाये गए मुद्दे	मुद्दों पर टिप्पणी
1	श्री पवन शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब।	इन्होने कहा कि- (i) प्रस्तावित पौधारोपण की जगह के बारे में बताएं की ये कौन सी जगह पर की जाएगी? स्टोन क्रेशर की साइट पर किया जायेगा या लीज एरिया पर किया जायेगा? (ii) जो वायु, जल, ध्वनि व भूमि के नमूने लिए गए हैं वह किस जगह से लिए गए हैं ?	परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि (i) प्रस्तावित पौधारोपण स्टोन क्रेशर की साइट पर किया जायेगा। (ii) परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि वायु, जल, ध्वनि व भूमि के नमूने लीज एरिया के साथ लगते क्षेत्र बांगरान से लिए गए हैं एवं इनका विवरण DPR में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2	श्री मिंटू , निवासी बांगरण, तहसील पौंटा साहिब जिला सिरमौर।	इन्होने कहा कि (i) जो खनन से नुकसान होगा उसके लिए क्या उपाए किया जायेगा ? (ii) खनन मशीनो द्वारा ना किया जाये जिससे लोगों का रोजगार खत्म हो जायेगा, इसके लिए क्या उपाए किया जायेगा ?	(i) परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि प्रस्तावित खनन 1 मीटर की गहराई तक किया जायेगा व 5 चैक डैम बनाये जायेंगे। (ii) (a) परियोजना प्रस्तावक ने कहा कि खनन केवल मैंनुअली किया जायेगा व किसी भी तरह की मशीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा व 50 -60 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलबध कराया जाएगा। (b) खनन विभाग के अधिकारी के द्वारा बताया गया की मशीन द्वारा किसी भी तरह के खनन की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा मामला विभाग के संज्ञान में आता है तो उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी लोगो से निसंकोच परियोजना के सन्दर्भ मे अपने विचार / सुझाव / आप्पतियाँ प्रकट करने का आह्वान किया गया। जनसुनवाई के समापन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉवटा साहिब के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनता को आश्वासन दिया गया कि उठाए गए सभी मुद्दों, सुझावो, विचारो और टिप्पणियों को नोट किया गया है एवं इस जनसुनवाई की कार्यवाही को कलमबध कर आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। अंत मे जनसुनवाई के समापन पर अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर द्वारा सभी का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

10/7/23

अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर
नाहन,जिला सिरमौर (हि. प्र.)